न्यायालय : - उपजिलाधिकारी

मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :लालगंज

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202315060403358

वाद संख्या:- 3358/2023

मिर्जा सलीम बेग बनाम गॉवसभा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 17/07/2023

निर्णय प्रस्तुत वाद मिर्जा सलीम बेग पुत्र मिर्जा कलीम बेग निवासी–कटघर लालगंज, तहसील–लालगंज जिला–आजमगढ द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धा
उ0प्र0रा0संहिता 2006 बावत आ0नं0 139/1-7020हे० में से 2240कडी यानि 0-907हे० स्थित मौजा आमामहुआ, परगना देवगॉव, तहसील-लालगं
आजमगढ़ दाखिल हुआ। तहसीलदार लालगंज से जॉच करायी गयी। तहसीलदार लालगंज द्वारा जांच कर अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, तह
लालगंज द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 03.07.2023 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम आमामहुआ के आ0नं0 139/1-7020हे० में से 2240कडी
907हे० भूमि मिर्जा सलीम बेग पुत्र मिर्जा कलीम बेग के नाम सह संकमणीय भूमिधर खाते में दर्ज है। उक्त आराजी के रकबा 0-907हे० सम्पूर्ण रकबे पर
विद्यालय के भवन का निमार्ण किया गया है। विद्यालय भवन का निर्माण मिर्जा सलीम बेग पुत्र मिर्जा कलीम बेग के द्वारा किया गया है।उक्त रकबा पर कृ
नही होता है। उक्त रकबा अकृषिक रूप में उपयोग की जा रही है। निर्धारित प्रारूप पर जॉच आख्या संलग्न कर गाटा सं० 139/1-702हे० में रकबा 0-9(
भूमि अकृषिक भूमि घोषित करने तथा लगान मुक्त करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। पत्रावली पंजीकृत की गई। वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क 5623
00रु0 व उद्घोषणा शुल्क 56234-00रु0 का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादी की बहस सुनी। पत्रावली पर बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यव
अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम आमामहुआ के आ0नं0 139/1-7020हे० में से 2240कडी यानि 0-907हे० भूमि मिर्जा सलीम बे
मिर्जा कलीम बेग के नाम सह संकमणीय भूमिधर खाते में दर्ज है। उक्त आराजी के रकबा 0-907हे० सम्पूर्ण रकबे पर विद्यालय के भवन का निमार्ण किय
है। विद्यालय भवन का निर्माण मिर्जा सलीम बेग पुत्र मिर्जा कलीम बेग के द्वारा किया गया है।उक्त रकबा पर कृषि कार्य नही होता है। उक्त रकबा अकृषिव
उपयोग की जा रही है। निर्धारित प्रारूप पर जॉच आख्या संलग्न है। तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार कर विवादित गाटा सं० 139/1-702हे० मे
0-9070हे० भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नही है। आदेश अतः तहसीलदार लालगंज की आर
दिनांक 03-07-2023 स्वीकार की जाती है। मौजा आमा महुआ, परगना देवगॉव, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ के खतौनी सन् 1430 से 1435फ0 के र
109 गाटा सं० 139/1-702हे० में रकबा 0-9070हे० मा0 60ख के अनुसार वाणिज्यिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का
खातेदार पर नही होगा। आवेदक घोषणा के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर गैर कृषिक सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो ये ब्यप
जायेगा। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक- उप जिलाधिकारी लालगंज, आजमगढ़।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"